कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांकः शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28001/21 दिनांकः 03.12.2021

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, मण्डल परिक्षेत्र ।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक ।

विषय :– राजकीय कार्यलयों में उपलब्ध अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का ई–ऑक्शन द्वारा निस्तारण के संबंध में ।

प्रसंग :– संयुक्त शासन सचिव, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा) विभाग के पत्रांक : प. 6(1)वित्त/साविलेनी/2005 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 02.08.2021, 24.11..2021

—

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक : 22.09.2021 द्वारा अधिनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में पड़े बेशी/नाकारा/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का ई–ऑक्शन के माध्यम से त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों की पालना में आपके अधिनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति से तत्काल अवगत करावें ।

ई–ऑक्शन के मार्गदर्शन हेतु संयुक्त शासन सचिव, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा) विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 02.08.2021 की प्रति संलग्न है ।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कमांकःशिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28001/21 दिनांकः 03.12.2021

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा) विभाग को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ ।
2. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
3. निम्न को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय में बेशी/नाकारा/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का ई–ऑक्शन के माध्यम से त्वरित निस्तारण करावें ।
   (1) उप निदेशक प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय हाजा ।
   (2) उप निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
   (3) प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
   (4) प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department

मा. शिक्षा/निजी/Govt./694

दिनांक 10 AUG 2021

राजस्थान सरकार

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक प. 6(1)वित्त/सावितलेनि/2005 पार्ट जयपुर दिनांकः 02/08/2021

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर,
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,जयपुर,
मुख्य अभियन्ता, PHED, जयपुर।

AO - लेखा D-2
06.08.2021

विषय :— राजकीय कार्यालयों में उपलब्ध अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का ई—ऑक्शन द्वारा निस्तारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग— II के नियम 16—27 की ओर आकृष्ट कर लेख है कि इन नियमों में राजकीय कार्यालयों में उपलब्ध अप्रचलित/अनुपयोगी सामान (Stores) के निस्तारण के प्रावधान उपलब्ध है तथा साविलेनि भाग—I के नियम (XXXIV) में ई—ऑक्शन का प्रावधान है।

राजकीय कार्यालयों में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री का 'स्वच्छ कार्यालय' के लिए त्वरित निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ई—ऑक्शन हेतु प्लेटफार्म **'eaution.gov.in'** बना हुआ है जिसका उपयोग राज्य के विभागों द्वारा ई—ऑक्शन हेतु किया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रारम्भ में पायलट आधार पर आपके विभाग का अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का निस्तारण ई—ऑक्शन द्वारा किया जावें।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध अनुपयोगी/अप्रचलित सामग्री का त्वरित निस्तारण ई—ऑक्शन द्वारा किया जावें। ई—ऑक्शन वेबसाइट के संबंध में यदि तकनीकी मार्गदर्शन अपेक्षित समझा जाता है तो निम्न अधिकारी से सम्पर्क किए जाने का परामर्श दिया जाता है :—

श्री चंचल कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.
Email address : c.kumar@nic.in
दूरभाष नम्बर :— 9829570672

कृपया इसको प्राथमिकता प्रदान करें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्रवाई हेतु :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED), जयपुर।

मुख्य लेखाधिकारी

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in